न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 33/2005 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2005/00010

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र रघुनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. रघुनन्दन पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)
   2/1. राजेन्द्र
   2/2. शकुन्तला
   2/3. उर्मिला
   2/4. सन्तो
   2/5. बबली
   2/6. राजकुमारी
   } पुत्र/पुत्री रघुनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती कान्ताबाई पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण नि0 बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/1. कृष्णा पुत्री बाबूलाल पत्नी वेदप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर जिला भरतपुर।

.... असल रेस्पोंडेंट।

2. श्रीमती कमला
3. श्रीमती सोमवती
   } पुत्री बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।

...........................तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील संख्या 34/2005 (225 आर0टी0ए0)

आरसीएमएस संख्या :– 2005/00009

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र रघुनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. रघुनन्दन पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)
   2/1. राजेन्द्र
   2/2. शकुन्तला
   2/3. उर्मिला
   2/4. सन्तो
   } पुत्र/पुत्री रघुनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2/5. बबली
2/6. राजकुमारी

.....................अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती कान्ताबाई पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण नि0 बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।
1/1. कृष्णा पुत्री बाबूलाल पत्नी वेदप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर जिला भरतपुर।

.... असल रेस्पोंडेंट।

2. श्रीमती कमला } पुत्री बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. श्रीमती सोमवती

............................तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 09.05.2005 उनवानी कान्ता बनाम राजेन्द्र मु0न0 31/03 व 130/03

अपील संख्या 114/2006 (225 आर0टी0ए0)
आरसीएमएस संख्या :— 2006/00009

उनवान

रघुनन्दन पुत्र बद्रीप्रसाद (फौत)
1. राजेन्द्र पुत्र रघुनन्दन
2. शकुन्तला
3. उर्मिला } पुत्री रघुनन्दन } जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर।
4. सन्तो
5. बबली
6. राजकुमारी

....................................अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती कान्ता वेवा बाबूलाल(फौत)
2. श्रीमती कृष्णा पुत्री बाबूलाल पत्नि वेदप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी खेरापति मौहल्ला भुसावर, तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

..............................रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी वैर दिनांक 16.11.2006 उनवानी रघुनन्दन बनाम कान्ता मु0न0 06 / 2005

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह, सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय दिनांक :- 10.08.2018

1. उपरोक्त तीनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक क्रमशः 09.05.2005 एवं 16.11.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि तीनों अपीलो में समान आराजी, समान पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान ही हैं, इसलिए तीनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति तीनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. प्रकरण संख्या 31 / 03 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधी0 न्याया0 में रैस्पो0 / प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बल्लभगढ तहसील वैर में स्थित है। जिसमें रैस्पो0 / प्रार्थीया का 1 / 4 हिस्सा व अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण बहिस्सा बराबर 1 / 4 के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी बद्रीप्रसाद की छोडी हुई आराजी है। बद्रीप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है, रैस्पो0 / प्रार्थीया उसके पुत्र बाबूलाल की विधवा है। किन्तु अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् एक वसीयतनामा फर्जी तरीके से मृतक बद्रीप्रसाद का तैयार कर लिया। जिसके आधार पर अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण, रैस्पो0 / प्रार्थीया के विवादित आराजी में निहित खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने व उनके हिस्से व कब्जा की आराजी को हडपने के लिए आमदा हैं। यदि अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो रैस्पो0 / प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी। रैस्पो0 / प्रार्थीया ने उक्त वसीयतनामा को निरस्त करने का एक दावा पृथक से सिविल न्यायालय में किया हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

3. प्रकरण संख्या 130 / 03 रैस्पो0 / प्रार्थीया ने उक्त आराजी पर, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवरी, विरूद्ध अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा होने के बाबजूद भी अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण, रैस्पो0 / प्रार्थीया को विवादित आराजी को जोतने बोने नहीं दे रहे हैं तथा विवादित आराजी को जबरदस्ती-ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। रैस्पो0 / प्रार्थीया एक महिला है, जो विधवा तथा शारीरिक रूप से अपाहिज है तथा उसका कोई पुत्र भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर रिसीवर कायम किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. प्रकरण संख्या 06/05 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थीया, समान आराजी पर इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी अपीलाण्ट/प्रार्थी के पिता बद्रीप्रसाद की स्वः अर्जित आराजी थी। बद्रीप्रसाद के दो लडके अपीलाण्ट/प्रार्थी एवं बाबूलाल थे, बाबूलाल की मृत्यु लगभग 28 वर्ष पूर्व हो चुकी है उसकी विधवा रैस्पो0/अप्रार्थीया लम्बे अरसे से टोडाभीम आदि स्थानों पर सरकारी कर्मचारी की हैसियत से रह रही है। बद्रीप्रसाद ने विवादित आराजी बाबत् एक वसीयत अपीलाण्ट/प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दी, तभी से अपीलाण्ट/प्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। रैस्पो0/अप्रार्थीया का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एंव ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु रैस्पो0/अप्रार्थीया ने उक्त वसीयत को निरस्त कराने हेतु एक दावा दिनांक 16.01.2002 को करके अपीलाण्ट/प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा दिया है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में रैस्पो0/अप्रार्थीया गैर कानूनी रूप से विवादित आराजी का दाखिला खारिज अपने नाम कराने को उतारू है। यदि रैस्पो0/अप्रार्थीया अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गयी तो, अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/प्रार्थी के उपयोग–उपभोग एवं कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् रैस्पो0/अप्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 31/03 एवं 130/03 को कन्सोलिडेट किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2005 से स्वीकार करते हुए, विवादित आराजी पर तहसीलदार वैर को रिसीवर नियुक्त कर दिया एवं प्रकरण संख्या 06/05 को अपीलाधीन आदेश दिनांक16.11.2006 से खारिज कर दिया। उक्त दोनों अपीलाधीन आदेशो के विरूद्ध वर्तमान तीनों अपीलें क्रमशः 33/2005 व 34/2005 उनवान राजेन्द्र बनाम कान्ताबाई एवं 114/2006 उनवान रघुनन्दन बनाम कान्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

6. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। विवादित आराजी स्व0 ब्रदीप्रसाद की स्वःअर्जित सम्पत्ति रही है तथा स्व0 बद्रीप्रसाद ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति की विधिवत वसीयत दिनांक 25.02.1992 से अपीलाण्ट के हक में छोडा है। असल रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। रैस्पो0 के मृतक बाबूलाल से अच्छे संबंध नहीं थे एवं वह कभी बल्लभगढ में नहीं रही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार मानने में भूल की है। विवादित आराजी बद्रीप्रसाद ने महारानी श्री जया भरतपुर से मुकदमा लडकर हासिल की है इसलिए उनकी स्वः पैदा करदा आराजी है। स्व0 बाबूलाल को स्वः अर्जित सम्पत्ति में कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

स्पष्ट रूप से कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 ने बद्रीप्रसाद की पुत्री विमला को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है एवं रैस्पो0 का वसीयत को निरस्त कराने बाबत् कथित वाद, सिविल न्यायालय में खारिज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं की ओर गौर ना करते हुए रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने एवं रिसीवर नियुक्त करने में भारी त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1994 पेज 142 व 575, 1990 पेज 04, 1993 पेज 650 1989 पेज 366 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें रैस्पो0 का 1/4 हिस्सा बनता है। विवादित आराजी का पैतृक होने के कारण बद्रीप्रसाद को वसीयत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। अपीलाण्ट ने वसीयत फर्जी तरीके से बनाई है। जमाबन्दी संवत 2011—15 में विवादित आराजी पर गिर्राज गैर मौरूसी दर्ज है अतः इससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी बद्रीप्रसाद के पिता गिर्राज के नाम रही है अर्थात विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1987 पेज 202(एच.सी.), 2001 पेज 411, 2017 पेज 588, 2018 पेज 67, 2017 पेज 668, 1976 पेज 18, 1990 पेज 328, 2004 पेज 74, 1995 पेज 719, 1994 पेज 726, 1993 पेज 206, डीएनजे 2015(3) पेज 166, आरआरटी 2003 पेज 1216, 2017 पेज 491, 2016 पेज 1084, आरबीजे 1998 पेज 381 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजी बद्रीप्रसाद की खातेदारी में रही है। अपीलाण्ट व रैस्पो0 दोनों, बद्रीप्रसाद की भूमि पर उत्तराधिकार का दावा कर रहे हैं। विवादित आराजी पर प्रथम दृष्टया स्वत्व, वादी/रैस्पो0 कान्ता का बनने में कोई शंका नहीं है। कथित वसीयत की वैधता एवं विवादित भूमि का बद्रीप्रसाद की स्वः अर्जित अथवा पैतृक होने वाले तथ्य, विस्तृत साक्ष्य विवेचना से मूल वाद में तय होंगे। इसके अलावा कथित रूप से बद्रीप्रसाद की पॉचवी संतान, विमला को पक्षकार बनाने न बनाने के बिन्दु का भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण में अधिक प्रभाव नहीं है; अधिकतम, विमला का अस्तित्व पक्षकारो के हिस्से पर ही प्रभाव डालता है। प्रकरण में, विवादित आराजीयात को अपीलाण्ट ने स्वः अर्जित सम्पत्ति व रैस्पो0 ने पैतृक सम्पत्ति होना बताया जाकर, उक्त सम्पत्ति के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा को फर्जी व कूटरचित होना कहा है। यह विवाद तय होने तक विवादित सम्पत्ति को खुर्द—बुर्द होने से बचाने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा, सुविधा संतुलन की दृष्टि से आवश्यक है। इसके अलावा अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी रैस्पो0 वादी कांता के पक्ष में है क्योंकि दौराने वाद विवादित भूमि हस्तांतरण होने पर वाद जटिलता व बहुलयता उत्पन्न होगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

10. इसके अलावा विवादित आराजी में दोनों पक्षो में से किसी भी पक्ष का विधिक एवं निर्विवाद कब्जा स्पष्ट नहीं है। इसलिए भूमि विवादग्रस्त अर्थात इन मीडियो हो गयी है। वादी/रैस्पो0 कान्ता विधवा एवं शारीरिक रूप से अपाहिज महिला है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर कायमी का आदेश दिया जाना भी न्याय संगत है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2005 में विवादित भूमि पर रिसीवर कायम करने के आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते हैं। जहाॅ तक प्रश्न रघुनन्दन द्वारा प्रस्तुत अपील का है, चूंकि विवादित आराजी में दोनों पक्षो का विधिक एवं निर्विवाद कब्जा स्पष्ट नहीं है एवं विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया वादी/रैस्पो0 कान्ता का स्वत्व पाया जाकर, तहसीलदार को विवादित आराजी पर रिसीवर कायम किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2006 उचित ही है। लिहाजा हम तीनों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

11. अतः आदेश है कि तीनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से, रैस्पो0/वादी के पक्ष में पूर्व में दिनांक 30.07.2002 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा (अपीलाण्ट/प्रतिवादी, विवादित आराजी में रैस्पो0/वादी के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें) को ता फैसला पुष्ट किया गया है। परन्तु विवादित आराजी पर तहसीलदार के रिसीवर नियुक्त होने से, उक्त आदेश प्रासंगिक नहीं रहा है अतः हम अपीलाधीन आदेश में इस प्रकार संशोधन करना चाहेंगें कि अपीलाण्ट विवादित भूमि को किसी प्रकार हस्तांतरित नहीं करें एवं विक्रय, दान (रिलीज) अथवा वसीयत के आधार पर नामांतकरण नहीं करावें।

12. पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official